



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-131

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271629 दिनांक 15/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Savita Gurjar S/o Kailash Chand Gurjar	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बंजरग लाल	C132	165.27 SQ. YARD	Cooperative	SHIKSHA VIHAR Sector/Block-	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	आवेदिका द्वारा शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नम्बर 24 शिक्षा विहार के भूखण्ड संख्या सी-132 क्षेत्रफल 166.66 व.ग. का श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बंजरग लाल के पक्ष में जारी आवंटन पत्र क्रमांक टी/एस/24/99/54 दिनांक 14.05.1999 जिसके पीछे के पृष्ठ में श्रीमती सविता गुर्जर पत्नी श्री कैलाश चन्द्र के नाम दिनांक 05.06.1999 को हस्तान्तरण किया गया है, साईट प्लान, सोसायटी में राशि जमा रसीद, वाद-विवाद



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

शपथ पत्र,
क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र
आदि
अपलोड/प्रस्तुत
किए गए हैं। ऑन
लाइन
सीपीआरएमएस
पर संयुक्त
रजिस्ट्रार
(सहकारिता),
जविप्रा0, जयपुर
की अपलोड
रिवाईज्ड सूची
क्रमांक 2483
दिनांक
07.10.2016 के
क्रम संख्या 137
पर श्री अशोक
कुमार पुत्र श्री
बजरंग लाल का
नाम अंकित है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Savita Gurjar S/o Kailash Chand Gurjar को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।